नोट फॉर पैड

हरियाणा दिव्यांग पैंशन योजना

दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981–82 में **'हरियाणा दिव्यांग पैंशन योजना'** आरम्भ की गई थी । इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50/–रूपये मासिक थी । तत्पश्चात पैंशन दरों में वृद्वि व दिव्यांगता की प्रतिशतता में कमी निम्नलिखित विवरण अनुसार की गई है:–

क0स0	पेंशन में बढोतरी की तिथि	राशि	दिव्यांगता की प्रतिशत
1.	01.11.1992	300	70 से अधिक
2.	01.01.2004	300	70 से अधिक
3.	01.01.2006	600	70 से अधिक
4.	01.01.2014	1000	70 से अधिक
5.	01.01.2015	1200	70 से अधिक
6.	01.01.2016	1400	70 से अधिक
7.	01.11.2016	1600	70 से अधिक
8.	27.02.2017	1600	60 से अधिक
9.	01.11.2017	1800	60 से अधिक
10.	01.11.2018	2000	60 से अधिक
11.	01.01.2020	2250	60 से अधिक
12.	01.04.2021	2500	60 से अधिक
13.	01.04.2023	2750	60 से अधिक
14.	01.01.2024	3000	60 से अधिक

क) पात्रता मापदण्ड 2004:

18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि वह हरियाणा राज्य का मूल निवासी है और आवेदन जमा करने के समय तीन वर्षों से हरियाणा राज्य में रह रहा है।

और

उसके करीबी रिश्तेदार जैसे माता–पिता, बेटा, बेटे के बेटे उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और सभी स्रोतों से उसकी अपनी वार्षिक आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं है जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है और विभाग द्वारा वर्ष–दर–वर्ष आधार पर प्रसारित किया जाता है।

और

क) दृष्टि का पूर्ण अभाव
ख) सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आंख में दृश्य समानता 3/60 से 10/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ग) सुनने की क्षमता का इस हद तक नष्ट हो जाना कि यह जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिए निष्क्रिय हो जाए।
घ) 70 प्रतिशत और उससे अधिक की स्थायी दिव्यांगता के साथ आर्थोपेडिक दिव्यांगता।
ड़) आई.क्यू. के साथ मानसिक मंदता 50 से अधिक नहीं।

पात्रता मापदण्ड 2017:

18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि वह हरियाणा राज्य का मूल निवासी है और आवेदन जमा करने के समय तीन वर्षों से हरियाणा राज्य में रह रहा है।

और

उसके करीबी रिश्तेदार जैसे माता–पिता, बेटा, बेटे के बेटे उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और सभी स्रोतों से उसकी अपनी वार्षिक आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं है जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है और विभाग द्वारा वर्ष–दर–वर्ष आधार पर प्रसारित किया जाता है।

और

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के सैक्शन 2(i) में उल्लिखित दिव्यांगता के लिए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2013 को जारी अधिसूचना संख्या 28/195/82–6HB–I के अनुसार व्यक्ति के पास निर्धारित और संबंधित प्रपत्रों में 60% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। अर्थात्:

क) नेत्रहीन ।
ख) कम दृष्टि।
ग) कुष्ठ रोग।
घ) सुनने में परेशानी।
ड.) लोकोमोटर दिव्यांगता।
च) बौद्धिक दिव्यांगता।
छ) मानसिक बीमारी।

ख) अन्य राज्यों में दिव्यांगजन पैंशन राशिः–

राज्य का नाम	दिव्यांगता प्रतिशत	पैंशन राशि
दिल्ली	40%	2,500/- प्रतिमाह
पंजाब	50%	1,500/- प्रतिमाह
चण्डीगढ़	40% से 70%	1,000/- प्रतिमाह
	71% से 100%	2,000/- प्रतिमाह.
उत्तरप्रदेश	40%	1,000/- प्रतिमाह
हिमाचल प्रदेश	40% से 69%	Rs. 1,150/- प्रतिमाह (पुरूष) Rs. 1,500/- प्रतिमाह (महिला)
	70% या अधिक	Rs. 1,700/- प्रतिमाह
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, भारत सरकार	80% - 18 वर्ष या अधिक 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद	Rs. 300/- प्रतिमाह Rs. 500/- प्रतिमाह

ग) योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों, बजट एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(राशि करोड़ रू0 में)

वित्त वर्ष	लाभपात्रों की संख्या	बजट	खर्च हुई राशि
2004-05	81,242	21.80	21.80
2005-06	98,461	35.99	35.99
2006-07	1,11,490	48.33	48.33
2007-08	1,18,789	54.69	54.25
2008-09	1,26,257	58.21	58.21
2009-10	1,31,687	99.21	95.76
2010-11	1,34,200	92.10	92.10
2011-12	1,36,070	92.83	91.81
2012-13	1,34,233	100.19	95.94
2013-14	1,36,347	113.42	106.38
2014-15	1,36,347	177.91	171.36

(राशि करोड़ रू0 में)

वित्त वर्ष	लाभपात्रों की संख्या	बजट	खर्च हुई राशि
2015-16	1,35,180	217.85	203.73
2016-17	1,44,215	255.00	252.43
2017-18	1,57,357	236.99	236.83
2018-19	1,66,983	281.67	281.65
2019-20	1,71,922	406.43	406.43
2020-21	1,72,963	472.80	466.72
2021-22	1,78,321	522.00	520.81
2022-23	1,86,045	543.72	543.72
2023-24	1,97,055	530.74	479.35

नोटः– दिव्यांग पेंशन, हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही हैं तथा दिनांक 19.04.2023 इसे परिवार पहचान पत्र(पी0पी0पी0) के साथ अनिवार्य कर दिया गया है एवं दिव्यांग पैंशन का डाटा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) से प्राप्त होने उपरान्त (Pro-Active Mode) दिव्यांग पैंशन स्वीकृति की जाती है।

Note For Pad

HARYANA DIVYANG PENSION SCHEME:

To provide social security to Disabled Persons, the scheme called "**Haryana Divyang Pension Scheme**" was introduced in the year 1981-82. The aim of the scheme is to provide social security to disabled persons who are unable to sustain themselves from their own resources and are in need of financial assistance from the State. The rate of pension, was Rs. 50/- p.m., at the beginning of the scheme. Further increase in pension and decrease in disability has been made as per following details:

Sr. No.	Date of Increase in Pension	Amount	Percentage of Disability
1.	01.11.1992	300	Above 70
2.	01.01.2004	300	Above 70
3.	01.01.2006	600	Above 70
4.	01.01.2014	1000	Above 70
5.	01.01.2015	1200	Above 70
6.	01.01.2016	1400	Above 70
7.	01.11.2016	1600	Above 70
8.	27.02.2017	1600	Above 60
9.	01.11.2017	1800	Above 60
10.	01.11.2018	2000	Above 60
11.	01.01.2020	2250	Above 60
12.	01.04.2021	2500	Above 60
13.	01.04.2023	2750	Above 60
14.	01.01.2024	3000	Above 60

A) Eligibility Criteria 2004:

A person in the age group of 18 years and above shall be eligible for grant of Divyang pension, if he is a domicile of Haryana State and has been residing in Haryana State for three years at the time of submission of application

AND

His/her close relative such as parents, son, son's sons are not supporting him and his /her own annual income from all sources is not more than minimum wages of unskilled labour as notified by Labour Department and circulated by department on year to year basis

AND

a) Total absence of sight
b) Visual acquity not exceeding 3/60 to 10/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses.
c) A loss of sense of hearing to the extent that it is non-functional for the ordinary purposes of life.
d) Orthopaedic handicap with a permanent disability of 70% and above.
e) Mental Retardation with I.Q. not exceeding 50

Eligibility Criteria 2017:

A person in the age group of 18 years and above shall be eligible for grant of divyang pension, if he is a domicile of Haryana State and has been residing in Haryana State for three years at the time of submission of application

AND

His/her close relative such as parents, son, son's sons are not supporting him and his /her own annual income from all sources is not more than minimum wages of unskilled labour as notified by Labour Department and circulated by department on year to year basis

AND

The Person has a Disability Certificate of 60% or more in prescribed and respective forms as per notification issued by Health Department, Haryana Government bearing No. 28/195/82-6HB-I dated 12th September, 2013 for the disabilities as mentioned in Section-2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 namely:

a) Blindness
b) Low Vision
c) Leprosy Cured
d) Hearing Impairment
e) Locomotor Disability
f) Mental Retardation
g) Mental Illness

B) Divyangjan Pension amount of other states:

Name of state	Disability Percentage	Pension amount
Delhi	40%	2,500/-p.m.
Punjab	50%	1,500/-p.m.
Chandigarh	40% to 70%	1,000/-p.m.
	71% to 100%	2,000/-p.m.
Uttar Pradesh	40%	1,000/-p.m.
Himachal Pradesh	40% to 69%	Rs. 1,150/- p.m. (Male) Rs. 1,500/- p.m. (Female)
	70% or More	Rs. 1,700/- p.m.
National Social Assistance Programme, Govt. of India	80% - 18 years and above	Rs. 300/-p.m.
	After attaining the age of 80 years	Rs. 500/-p.m.

C) Details of beneficiaries, budget and expenditure incurred under this scheme is as under:-

(Rs. in Crore)

Financial Year	Beneficiaries	Budget	Expenditure
2004-05	81,242	21.80	21.80
2005-06	98,461	35.99	35.99
2006-07	1,11,490	48.33	48.33
2007-08	1,18,789	54.69	54.25
2008-09	1,26,257	58.21	58.21
2009-10	1,31,687	99.21	95.76
2010-11	1,34,200	92.10	92.10
2011-12	1,36,070	92.83	91.81
2012-13	1,34,233	100.19	95.94
2013-14	1,36,347	113.42	106.38
2014-15	1,36,347	177.91	171.36

(Rs. in Crore)

Financial Year	Beneficiaries	Budget	Expenditure
2015-16	1,35,180	217.85	203.73
2016-17	1,44,215	255.00	252.43
2017-18	1,57,357	236.99	236.83
2018-19	1,66,983	281.67	281.65
2019-20	1,71,922	406.43	406.43
2020-21	1,72,963	472.80	466.72
2021-22	1,78,321	522.00	520.81
2022-23	1,86,045	543.72	543.72
2023-24	1,97,055	530.74	479.35

Note: The disability pension is being sanctioned under the Haryana Divyang Pension Rules, 2016 and has been tagged with Parivar Pehchan Patra (PPP) with effect from 19.04.2023. After receipt of data of divyang pension (Pro-active mode) from the Citizen Resources Information Department (CRID), divyang pension is approved.